

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर

// आवश्यक सूचना //

क्र०- 1070/परीक्षा/2018

जबलपुर, दिनांक-19/04/2018
20


म०प्र० के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों, वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार/जलवाहक/माली/स्वीपर (कलेक्टर रेट) प्रवर्ग की सीधी भर्ती/नियुक्ति-2017 के मुख्य साक्षात्कार हेतु सफल पाये गये अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र व दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात् पात्र एवं अपात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची जिला न्यायालय के सूचना पटल में उपलब्ध है।

उपरोक्त सूची में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का मुख्य साक्षात्कार दिनांक 06.05.2018 (रविवार) को संबंधित जिला न्यायालय (जिस जिले में आवेदन किया था) परिसर में प्रातः 09.00 बजे से लिया जावेगा। इसी प्रकार अपात्र पाये गये अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जावेगा।

अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र एम०पी०ऑनलाईन की वेबसाईट से अपना आवेदन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कर प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी मुख्य साक्षात्कार हेतु आधा घण्टा पूर्व प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र एवं समस्त मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों। मूल फोटो पहचान-पत्र नहीं लाने वालों एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य साक्षात्कार में सम्मिलित होने नहीं दिया जावेगा व उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।

मुख्य साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रदान नहीं किया जावेगा।

महत्वपूर्ण सूचना— समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह मुख्य साक्षात्कार हेतु जिला न्यायालय परिसर में उपस्थित होने पर शांति बनाये रखेंगे उनके द्वारा किसी भी तरह का अशांत वातावरण निर्मित करना, अशिष्ट आचरण करना एवं परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करना आपराधिक कृत्य माना जायेगा और उनकी अभ्यर्थिता तत्काल समाप्त करते हुए दण्डिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।


(उमेश कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार (परीक्षा)